

फर्द अहकाम

हेमा जगलवाल बनाम भोरीलाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्ती

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 173/2024

क्रम संख्या	दिनांक आशा या कार्यवाही	आशा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		का पेश किया किया प्रति वादी अधिवक्ता को दिलवाई गई। पत्रावली वाले इंजार् आगापी निर्देश दिनांक 22/12/2024 को पेश है।	दिनांक 4/12/23 07/11/24
23/12/24		दिनांक 22/12/24 का भवकाश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 11, 12, 14 के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वाले इंजार् आगापी निर्देश दिनांक 31/01/2025 को पेश है।	
31/1/25		पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्वोलेंस कार्य संचालित करने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। पत्रावली दिनांक 10/3/25 को पेश है।	
10/3/25		पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्वोलेंस कार्य संचालित करने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। पत्रावली दिनांक 4/4/25 को पेश है।	
4/4/25		पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पूर्व आवश्यकानुसार दिनांक 21/4/25 को पेश है।	
21/04/25		पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 11, 12, 14 के अधिवक्ता उपस्थित। वादीय स्वयं उपस्थित होकर प्रा. पत्र काबत विडो करी जाने बाद का प्रस्तुत किया एवं आदेशिका।	हेमा जगलवाल 27-4-25 Indiyak

8

पर्यटन विभाग

श्रीमा जयसवाल स्वामी श्रीश्रीलाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्ती

दिनांक 17/3/2024

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

173/2024

संख्या	आज्ञा या कार्यवाही	विषय	दिनांक
		<p>पर इलाक़ा के किये एवं वाडिया की पहचान वाडिया के अधिकार की रामचन्द्र शींग द्वारा की गई (वाडिया) प्रार्थना को प्रार्थना पत्र वाकत रिड्डा किये जाने बाद पर सुना गया (वाडिया) ने कथन किया कि उक्त उन्वानी प्रकरण में पक्षकारान के मध्य ग्राम व समाज के मौजिज व्यक्तियों की समझाइश से राजीनामा हो गया है इसलिये एक इस वादपत्र को भाजे नही चलाना चाहती है तथा बिझीकर खारीज करवाना चाहती है अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रप्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वादपत्र को बिझी किये जाने की इज्जत प्रदान की जावे। प्रार्थना को प्रार्थना पत्र पर सुना गया।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं प्रार्थना/वाडिया द्वारा जस्टिस तथो पर मनन करने के उपरान्त हम पाते है कि प्रार्थना को कथन है कि पक्षकारान</p>	

8

फर्द अहकाम

ईमा जाधलवाल

बनाम

मोरी लाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

जस्य वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

173/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण वादपत्र को आगे चलाना नहीं चाइये है अतः प्रार्थना का प्रार्थना पत्र न्यायादित में लीकार किया जाकर वादपत्र का विज्ञो करनी की अनुमति प्रदान की जाती है वादपत्र विज्ञो लीकार होने के बाद वादपत्र खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली के लाल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर दर्ज नम्बर से कम है।</p>	

सहायक कलक्टर

बस्सी जिला-जयपुर